धुरवाराव मड़िया शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़

छात्रों के लिए आचार संहिता

प्रस्तावना

धुरवाराव मड़िया शासकीय महाविद्यालय, भैरमगढ़ सदाचरण की संस्कृति को बनाए रखने, समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उत्कृष्टता, बौद्धिक खुलेपन, समावेशिता, न्याय, अखंडता, निष्पक्षता, सम्मान, समानता और जवाबदेही को प्रदर्शित करता है। यह छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे अपने दैनिक निर्णयों, कार्यों और बातचीत में इन मानकों को बनाए रखें। परिसर में रहते हुए भी छात्र देश के कानूनों के अधीन रहते हैं, और उन कानूनों का उल्लंघन भी संहिता का उल्लंघन हो सकता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आचार संहिता का पालन करें।

छात्रों की जिम्मेदारियाँ

1. संस्थान की नीतियों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका अनुपालन करेंगे तथा कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे

2. लिंग, जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, प्रतिभा, कौशल और अनुभव में विविध संस्थान समुदाय को महत्व देने और समर्थन करने के लिए संस्थान की नीति का पालन करेगा।

छात्र प्रतिबद्धता

3. संस्थान में समय पर पहुंचना होगा।

4. कक्षाओं में नियमित और समय का पाबंद होना होगा और अंतिम परीक्षा में शामिल होने में सक्षम होने के लिए 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगी।

5. कक्षाओं में शिक्षक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

6. व्याख्यान कक्ष/ड्राइंग हॉल/प्रयोगशालाओं/क्लबों और गलियारों के अंदर उत्तम व्यवस्था और सख्त शांति बनाए रखें।

7. कक्षा में समय-सारणी के अनुसार कैलकुलेटर, ड्राफ्टर, चार्ट और डेटा हैंडबुक लाने पर ध्यान दें।

8. असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड और पोस्टर जमा करने की सभी समय सीमा को पूरा करें।

9. विभिन्न प्रयोगशालाओं के नियमों का पालन करें और उपकरणों को नुकसान न पहुँचाएँ।

10. प्रतिदिन संस्थान/विभाग के नोटिस बोर्ड देखने की आदत डालें।

11. अपने गुरुओं द्वारा बुलाए गए सभी परामर्श सत्रों में भाग लें और बेझिझक अपनी शैक्षणिक/व्यक्तिगत/कैरियर संबंधी कठिनाइयों के बारे में बताएं और समाधान खोजें।

12. पुस्तकालय में शांति बनाए रखें और बिना नुकसान पहुंचाए इसके संसाधनों और स्थान का उपयोग करें।

13. संस्थान के कार्य समय के दौरान कैंटीन में न रहें।

शैक्षणिक कदाचार

14. ध्यान दें, प्रगतिशील अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करें और परिसर में किसी भी तरह की हिंसा, संस्थान की संपत्ति को नष्ट करना, परिसर में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा। गलती करने वाले व्यक्ति शैक्षणिक या वित्तीय परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि ऐसा होता है तो वे अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे निलंबन या विशिष्ट अवधि के लिए निष्कासन आदि के लिए उत्तरदायी होंगे।

15. ध्यान दें कि परिसर की इमारतों, दीवारों पर लिखकर या बिल, पोस्टर चिपकाकर उन्हें विकृत किया जाए। वर्जित है। साथ ही विभागों में लगे नोटिस और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाने से भी मना किया गया है.

16. शैक्षणिक अध्ययन करते समय शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करना या बदलाव करना शैक्षणिक कदाचार है। ध्यान दें कि परीक्षा हॉल में सभी प्रकार के कदाचार और अनुचित साधन, जिसमें पर्यवेक्षकों पर हमला, परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार, अन्य छात्रों को बेईमानी करने और प्रतिरूपण करने में सक्षम बनाना गंभीर और दंडनीय अपराध हैं।

17. संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लें और उनकी सफलता में योगदान दें।

18. कॉलेज प्रशासन के सभी स्तरों पर छात्रों की भागीदारी के माध्यम से छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए।

19. परिसर के बाहर कार्यक्रमों में भाग लेने और संस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर भी आचार संहिता प्रभावी रहेगी।

<u>अन्य विद्यार्थियों को बदनाम करना</u>

20.निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से दूसरों तक राय संप्रेषित करें।

21. किसी भी मतभेद को सम्मानपूर्वक और सीधे उन सदस्यों को बताएं जिनसे आप असहमत हैं, सामान्य क्षेत्रों में नहीं।

22. सम्मानजनक पोशाक पहनेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ-सफाई रखेंगे, अच्छी तरह से तैयार रहेंगे और हर समय संस्थान का पहचान पत्र पहनेंगे।

23. संस्थान के संसाधनों (सुविधाओं, उपकरण, आपूर्ति, वाहन) का विधिपूर्वक उपयोग करें

24. कक्षाओं और सामान्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग से बचें।

25. जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर कोई औपचारिक और अनौपचारिक समूह नहीं बनाना।

26. ध्यान दें कि छात्रवृत्ति राशि तभी जारी की जाएगी जब सभी छात्रवृत्ति धारक उसी महीने/शैक्षणिक वर्ष में 75% उपस्थिति दर्ज करेंगे।

27. अपने हित में पिता/अभिभावक के पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की जानकारी कार्यालय/विभाग को दें।

28. छात्रों को कॉलेज संचार कार्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी मीडिया संगठन या प्रकाशन के साथ कॉलेज की ओर से या उसके लिए बोलने से प्रतिबंधित किया गया है।

29. विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन सख्त वर्जित है।

30. स्थिरता को बढ़ावा देना और हमारे सभी कार्यों में पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना।

31. संस्थान को काम करने और सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का पालन करें और सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें। संस्थान के सभी छात्रों को इस नीति का पालन करना चाहिए। संस्था अनैतिकता बर्दाश्त नहीं करेगी। आचरण और उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हैं।

32. पीड़ित छात्र अपनी शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

<u>सज़ा और दंड</u>

चेतावनी, निलंबन, आर्थिक जुर्माना, बर्खास्तगी, ऐसी कार्रवाइयों का उदाहरण है जो तब की जा सकती है जब किसी छात्र को छात्र आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया हो।

प्राचार्य
धुर्वाराव माड़िया
शासकीय महाविद्यालय -- भैरमगढ़
जिला – बीजापुर, (छ.ग.)